| आदेश क्रम | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>खेमसिंह बनाम लो.सू.अ.( उपखण्ड अधिकारी लूणी )<br>सू.अ.अ. अपील संख्या 132/2017 | नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| [illegible] | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी [illegible] तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 21.08.17. में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत लूणी, पंचायत समिति लूणी, तहसील लूणी जिला जोधपुर के द्वारा वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में पानी परिवहन के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये। कितनी राशि के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये संबंधित बिलों, टेण्डर एवं पानी परिवहन के आदेशों की प्रमाणित छाया प्रतियों व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी लूणी ) को प्रेषित किया या नहीं, अपील में स्पष्ट नहीं किया गया।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने प्रथम अपील के रूप में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उन्होनें लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) के सम्मुख निर्धारित शुल्क के साथ कब आवेदन किया। न स्वयं उपस्थित हुआ। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी ) से भी आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील अपीलार्थी अस्पष्ट एवं विधिक प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया। | |